(61)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3304—दो/2016 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 23—08—2016 (संशोधन आदेश दिनांक 8.9.16) के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण कमांक 679/अपील/2014—15.

.....

गौराबाई पत्नी धर्मप्रकाश आर्य
निवासी एल.आई.सी. कालोनी
भोपाल नाका सीहोर म0 प्र0

—— आवेदक

विरूद्ध

परमजीत सिंह आत्मज श्री साधु सिंह
निवासी 17 बी/ए—6 पंजाबी बाग
गोविन्दपुरा भोपाल म0प्र0

—— अनावेदक

.....

श्री अतुल धारीवाल अभिभाषक, आवेदक
श्री परमजीत सिंह, अनावेदक स्वयं

.....

आदेश

(आज दिनांक 13/9/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 23—08—2016 एवं (संशोधन आदेश दिनांक 8.9.16) के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक परमजीत सिंह द्वारा ग्राम थूना खुर्द तहसील व जिला सीहोर द्वारा तहसीलदार सीहोर के न्यायालय की संशोधन पंजी कमांक 13

में आदेश दिनांक 12.10.14 से असंतुष्ट होकर अनुविभागीय अधिकारी सीहोर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई उनके द्वारा प्रकरण कमांक 28/अपील/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 22.6.15 द्वारा स्वीकार की गई। इसी से दुखित होकर गौराबाई द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के न्यायालय में प्रस्तुत की जो उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्वीकार करते हुये अपील निरस्त की गई। इसी से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदिका ग्राम थूना खुर्द तहसील व जिला सीहोर स्थित भूमि खसरा कमांक 325/3 क्षेत्रफल 0.405 है0 की भूमिस्वामी एवं अधिपत्यधारी हैं ये भूमि आवेदिका द्वारा पंजीयत विकयपत्र दिनांक 22.8.14 द्वारा अनावेदक से उसके मान्यता प्राप्त मुख्त्यारआम श्री ओमप्रकाश मीना आत्मज श्री कालूराम से कय की थी ऐसे विकयपत्र का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय सीहोर के समक्ष दिनांक 23.9.14 को पुस्तक कमांक अ–1 के ग्रंथ 4619 के पृष्ठ 93 लगायत 96 पर कमांक 958 पर किया गया था जिसके आधार पर आवेदका का नामांतरण स्वीकृत किया गया एवं उसके पक्ष में एकीकृत भू–अधिकारी एवं ऋण पुस्तिका जारी की गयी कि उसने ऐसी भूमि का विकय आवेदका को नहीं एवं मुख्तारआम ओमप्रकाश मीना ने उसके मुख्तारनामे का दुरूपयोग किया है। साथ ही ऐसे तथ्यों के आधार पर उसने नामांतरण को चुनौती दी जिसमें प्रथम अपील न्यायालय में अवधि बाधित अपील में अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलंब क्षमा करते हुये नामांतरण नियमों का पालन न होना दर्शाकर नामांतरण आदेश निरस्त कर दिया जिसके विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि कर दी है जो त्रुटिपूर्ण है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि प्रकरण में नामांतरण नियमों का विधि पूर्ण पालन किया गया है जब नामंतरण करते समय अनावेदक के विधि पूर्ण मुख्तारआम द्वारा अपनी सहमति प्रदान की गई थी। ऐसी सहमति के लिये अनावेदक पूर्णतः बंधकारी था क्योंकि उसके द्वारा ऐसा मुख्तारनामा कभी भी निरस्त नहीं किया गया था न ही निरस्ती करण के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं ऐसी स्थिति में नामंतरण नियमों के पालन होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जावे।

4– अनावेदक स्वयं परमजीत उपस्थित होकर अनुरोध किया गया था कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश मेरे पक्ष में हैं, उन्हें स्थिर रखा जावे। उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि नामांतरण पंजी में काटछांट की गई है, पहले मेरे हस्ताक्षर किये गये हैं तथा बाद में वह काट दिये गये है, जिसकी छाया प्रति मैंने अवलोकनार्थ भी कराई गई है।

5– आवेदिका के अधवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा अनावेदक स्वयं परमजीत के द्वारा तर्क किये गये उनके भी तर्क श्रवण कये। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। ग्राम थाना खुर्द की संशेधन पंजी कमांक 13 की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की उसका अवलोकन किया। पंजी में इश्तहार जारी किया लिखा है लेकिन उसमें भूमिस्वामी के हस्ताक्षर नहीं है। इश्तहार का प्रकाशन नियमानुसार नहीं किया गया है। संशेधन पंजी में भूमिस्वामी के हस्ताक्षर कराकर काट दिये गये है, अपील का मुख्य आधार यह कि पंजी के कालम नंबर 8 में इश्तहार जारी किन्तु जारी इश्तहार कब और कहां प्रकाशित किया गया है। प्रकाशन के उपरांत कोई आपत्ति या सहमति के संबंध में कोई रिपोर्ट अंकित नहीं है। कालम नंबर 9 में उभयपक्ष सहमत अंकित किया गया है। लेकिन उभयपक्षों की उपस्थिति के संबंध में किसी पक्ष द्वारा क्या सहमति दी गई है यह स्पष्ट नहीं है। उपरोक्त विवेचना अपर आयुक्त भोपाल द्वारा अपने आदेश में की गई है जिससे मैं सहमत हूॅ। अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सीहोर के प्रकरण कमांक 28/अपील/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 22.6.15 अपर आयुक्त भोपाल द्वारा स्थिर रखते हुये आवेदिका की अपील निरस्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है।

5– परिणामस्वरूप न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण कमांक 679/अपील/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 23–08–2016 (संशेधन आदेश दिनांक 8.9.16) उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर